

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-124 / 2021.....

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पटना।

पटना, दिनांक 24.3.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-250, दिनांक-20.03.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अथमलगोला	0	1	1	
2	दानापुर	0	3	3	
3	पंडारक	0	2	2	
4	बख्तियारपुर	1	1	2	
		1	7	8	

2. उक्त मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव 24/3/2021

ज्ञापक-1788/-

पटना, दिनांक-24/3/2021/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव 24/3/2021

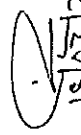
संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्र जो राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से अनुमोदित नहीं किये गये हैं की विवरणी

क्र०	प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र सं०	आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	पूर्व में भेजे गये मतदान का नाम केन्द्र एवं स्थल	वर्तमान में पुनः संशोधित भेजे जाने वाली मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित का कारण/ औचित्य	मतदान क्षेत्र का विस्तार प्रा०नि०स०	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क्र०..... से तक)	मवन सरकारी / अर्द्ध सरकारी	मवन में कुल कमरों की सं०	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए तय कि जाने वाली दूरी	प्रवेश एवं विकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्मय हो कर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	मतदान केन्द्र किस वार्ड में स्थित है।	अभ्युक्ति
1	दखियापुर	113	प्राथमिक विद्यालय घोसवरी टोक पूर्वी भाग	गणेश राय पिता सूरज राय के निजी जमीन पर चलत मतदान केन्द्र	उत्कर्मित मध्य विद्यालय देदौर (पूर्वी उत्तरी भाग)	-	10	1 से 695 तक	सरकारी	2	600 मीटर	नहीं	हाँ	10	-
2	दखियापुर	113 क	प्राथमिक विद्यालय घोसवरी टोक पश्चिमी भाग	गणेश राय पिता सूरज राय के निजी जमीन पर चलत मतदान केन्द्र	उत्कर्मित मध्य विद्यालय देदौर (पश्चिमी उत्तरी भाग)	-	10	696 से 1390 तक	सरकारी	-	600 मीटर	नहीं	हाँ	10	-
3	पण्डारक	172 क	मध्य विद्यालय अजगरा, पूर्वी भाग (अजगरा)	-	मध्य विद्यालय अजगरा, उत्तरी भाग (अजगरा)	मतदान केन्द्र सं०-172 में 1198 मतदाता होने के कारण	प्रा०नि०स० (वार्ड सं०-01) साहेबपुर ब्रह्मपुर प० भाग	म०के०स०-172 01 से 592 कुल-592 म०के०स०-172 क 593 से 1198 कुल-605	सरकारी	7	1 किलोमीटर	हाँ	हाँ	1	म०के०स०-172 क में 1198 मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केन्द्र होने से कारण म०के०स०-172 क सहायक मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित।

[Handwritten signature]

प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र सं०	आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	पूर्व में भेजे गये मतदान का नाम केन्द्र एवं स्थल	वर्तमान में पुनः संशोधित भेजे जाने वाली मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित का कारण/ औचित्य	मतदान क्षेत्र का विस्तार प्रा०नि०से०सं०	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क्र०..... से तक)	मवन सरकारी / अर्द्ध सरकारी	मवन में कुल कमरों की सं०	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए तय कि जाने वाली दूरी	प्रवेश एवं विकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्मित हो कर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	मतदान केन्द्र किस वार्ड में स्थित है।	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पण्डारक	173 क	-	-	मध्य विद्यालय अजगरा, उत्तर-पूर्व भाग (अजगरा)	मतदान केन्द्र सं०-173 में 946 मतदाता होने के कारण	प्रा०नि०से०सं० (वार्ड सं०-02) साहेबपुर चतुर्भुजपुर पू० भाग	म०के०सं०-173 01 से 510 कुल-510 म०के०सं०-173 क 511 से 946 कुल-435	सरकारी	7	1 किलोमीटर	हैं	हैं	2	म०के०सं०-173 क में 946 मतदाता होने के कारण म०के०सं०-173 क सहायक मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित
5 अथस्तंगोला	45 क	प्राथमिक विद्यालय धौकल राय के टोला के बरामदे पर चलत मतदान केन्द्र	-	प्राथमिक विद्यालय धौकल राय के टोला के बरामदे पर चलत मतदान केन्द्र	मूल मतदान केन्द्र में 850 से अधिक मतदाता रहने के कारण सहायक मतदान केन्द्र बनाये गया है।	रामनगर कपारी कछार दोकल राय के टोला	क्र०-451 से 891 तक।	सरकारी	1	0.5 किलोमीटर	नहीं	हैं	7	मूल मतदान केन्द्र में 850 से अधिक मतदाता रहने के कारण सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है।
6 दानापुर	98 क	सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी (बाया भाग)	-	सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी उत्तरी भाग मोबारकपुर रघुशमपुर	800 से अधिक मतदाता का होना	1	क्र०-848 से 1250 तक	सरकारी	1	0.01 किलोमीटर	हैं	हैं	1	सहायक मतदान केन्द्र मूल मतदान केन्द्र से 7 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है परंतु मतदाता को करीब 200 मीटर दूरी तय कर अपना मतदान का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि मूल मतदान केन्द्र के साथ रखा जाय तो सेवा द्वारा रास्ता बंद किये जाने के कारण 7 किलोमीटर दूरी तय कर मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे।
7 दानापुर	98 ख	-	-	डिफेंस कॉलोनी सामुदायिक भवन दक्षिणी भाग मोबारकपुर रघुशमपुर	800 से अधिक मतदाता का होना	1	क्र०-1251 से 1829 तक	सरकारी	1	0.01 किलोमीटर	हैं	हैं	1	

प्रखण्ड का नाम	मतदान केन्द्र सं०	आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	पूर्व में भेजे गये मतदान का नाम केन्द्र एवं स्थल	वर्तमान में पुनः संशोधित भेजे जाने वाली मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित का कारण/ औचित्य	मतदान क्षेत्र का विस्तार प्रा०नि०२०१०	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (क्र०..... से तक)	भवन सरकारी / अर्द्ध सरकारी	मतन में कुल कमरों की सं०	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए तय कि जाने वाली दूरी	प्रवेश एवं विकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कजोर वर्ग के लोग निर्मय हो कर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	मतदान केन्द्र किस वर्ड में स्थित है।	अभ्युक्ति
8 दानपुर	135 क	प्राथमिक विद्यालय शिवालापर सुनी झोपड़ी परिसर भाग, शिवालापर	-	ऑगनबाड़ी केन्द्र शिवालापर पूर्वी टोला शिवालापर	800 से अधिक मतदाता जा होना	3	क्र०-429 से 857 तक	सरकारी	1	0.05 किलोमीटर	हैं	हैं	3	सहायक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 0.5 फीट की गली में अवस्थित विद्यालय में केवल एक कमरा है आस-पास खाली जगह का अभाव है जिसके कारण चलते मतदान केन्द्र भी नहीं बनाया जा सकता है। विधान सभा चुनाव 2020 में भी सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया था जो ऑगनबाड़ी केन्द्र पर शिवालापर (पूर्वी टोला) था जो मूल मतदान केन्द्र से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है।


 जिलाधिकारी
 पटना

राज्य निर्वाचन आयोग


 उप सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग